प्रेषक,

एफ0एन0प्रधान, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र—2 समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार, नई दिल्ली

शिक्षा अनुभाग-7

लखनकः दिनांक 🗸 जुलाई, 2007

विषय:-अमोल चन्द्र पब्लिक स्कूल जी०टी०रोड, सिकन्दराराऊ, हाथरस को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैं:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय—समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेघावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें औरउनसे उ०प्र0माध्यभिक शिक्षा परिषद बारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगां
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंद्रल बोर्ड ऑफ सेकंण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कौसिल ऑफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त

Manager

Amol Chand Public School G T.Road, Sikandra Rao (Hathras) Principal Amol Chand Public Sr. Sec. School
Sikandra Rao, Hathras(U.P.)

शिक्षण संस्थाओं के कर्मधारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य मत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य मत्ते नहीं दिये जायेगे।

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाग उपलब्ध कराये जायेगे।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेनी।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9) उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2— उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि 'किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वार प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(एफ०एन०प्रधान) संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- शिक्षा निदेशक (मा०) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, महामायागनर (हाथरस)
- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- प्रवन्धक, अमोल चन्द्र पब्लिक स्कूल जी०टी०रोड, सिकन्दराराऊ, हाथरस।

6- गार्ड बुक।

,आज्ञा से,

(एफं०एन०प्रधान) संयुक्त सचिव।

Manager
Amol Chand Public School
G T-Road, Sikandra Rao (Hathras)

Principal

Amol Chand Public Sr Sec. Sc: